

Vol. No. (105) / 2013-14

840717

मो. नो. १०५/२०१३-१४ दिनांक २५/३/१४
नाम निदेशानुसार शुल्क दे पात्र शक्ति

25 000 = 00

शुल्क दे पात्र

25 000 = 00

(पञ्चवीस हजार) का मात्र

दिनांक

शुल्क दे पात्र शक्ति

25/3/14

8/3

भाग - II

(भारतीय प्रारण राजनीतिक दल द्वारा नहीं खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्ताव किया जाने के लिए)

हम एतद द्वारा 38 श्री राम-य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम प्रविष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम श्री प्रकाश सिंह पिता/प्राप्त/पति का नाम साधव सिंह

वसना का पता नयी मण्डला इलाहाबाद, मीरजापुर जिला

उसका नाम 32 श्री राम-य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 194 नया राम-य

(मे समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं. 119 क्रम संख्या 1178 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम वक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपदर्शित है और हम इस नाम निर्देशन को सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे कर रहे हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनमें हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	वक्त भाग संख्या में क्रम संख्या			
१	२	३	४	५	६	७
1	192 श्री राम-य	80	27	सिधमेश्वर सिंह	सिधमेश्वर सिंह	26/3/14
2	192 श्री राम-य	80	51	38 श्री राम-य	38 श्री राम-य	26/3/14
3	192 श्री राम-य	80	174	रामचन्द्र सिंह	रामचन्द्र सिंह	26/3/14
4	192 श्री राम-य	80	186	श्री रामचन्द्र सिंह	श्री रामचन्द्र सिंह	26/3/14
5	192 श्री राम-य	80	190	श्री रामचन्द्र सिंह	श्री रामचन्द्र सिंह	26/3/14
6	192 श्री राम-य	80	187	श्री रामचन्द्र सिंह	श्री रामचन्द्र सिंह	26/3/14
7	192 श्री राम-य	80	188	श्री रामचन्द्र सिंह	श्री रामचन्द्र सिंह	26/3/14
8	192 श्री राम-य	80	138	श्री रामचन्द्र सिंह	श्री रामचन्द्र सिंह	26/3/14
9	192 श्री राम-य	80	25	श्री रामचन्द्र सिंह	श्री रामचन्द्र सिंह	26/3/14
10	192 श्री राम-य	79	07	श्री रामचन्द्र सिंह	श्री रामचन्द्र सिंह	26/3/14

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र में 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

भाग - III

में भाग I/भाग II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता हूँ तथा एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 73 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें.

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में ~~.....~~ दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं इस निर्वाचन में ~~.....~~ दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो एक संजोक्त-वैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमार्ग्य क्रम में

(i)..... (ii)..... (iii).....

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी में (भाषा का नाम) सही है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ~~.....~~ जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो ~~.....~~ राज्य के उस

" उस राज्य में के ~~.....~~ (क्षेत्र) ~~.....~~ से संबंधित अनुसूचित ~~.....~~ जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में स्थापित होने वाले सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

दिनांक 26.3.14

.....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

* जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

* * यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

* * * यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष द्वीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

भाग III - क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी -

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 के
की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (आपराधों) में, या
(ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्ध दोष ठहराया गया है; या
- (ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे
दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।
- यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. 25-4
- (ii) पुलिस स्टेशन 25-4 जिला (जिले) 25-4 राज्य 25-4
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए
उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था 25-4
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) 25-4
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था 25-4
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा/या जुर्माने की राशि उपदर्शित 25-4
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) 25-4
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपील) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थी
- (ix) अपील (अपील) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपील)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन
दाखिल किया गया 25-4
- (xi) क्या उक्त अपील (अपील)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाएं) का निपटारा कर लिया गया है या वे/यह अभी
लंबित हैं 25-4
- (xii) यदि उक्त अपील (अपील)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) 25-4
(ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) 25-4

दिनांक 26-3-18
स्थान 25-4


अभ्यर्थी
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग - IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 2/6 यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में
26.3.14 (तारीख) को 1.10 PM बजे को अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

दिनांक 26.3.14
जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।


रिटर्निंग अधिकारी
26/3/14
(अनिल कुमार)

भाग - V

सहायक निर्वाची पदाधिकारी
इ-2-आशा एसटीडी निर्वाचन क्षेत्र

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का ~~दिनांक~~ दिनांक 26/3/14
मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को लौटा दिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

दिनांक
(छिद्रण)

रिटर्निंग अधिकारी



“प्ररूप 26”
(नियम 4 क देखिए)

नाम Arjun Singh
(आयकर किये गये किस को पदक
के धरे हैं। B.N. Pandey
765
28.8.14



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 32 आर सामन-य सिमरम
(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकार
के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं गोपाल सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी रुद्रो मोहन सिंह
आयु 73 वर्ष, जो महात्म्य-नदी महल्ला इलाहाबाद, गोरखपुर बिहार

... (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन
से अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

- 1) मैं महात्म्य-नदी महल्ला इलाहाबाद, गोरखपुर बिहार द्वारा खड़ा किया गया
अभ्यर्थी ****** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में तड़ रहा हूँ।



जो नाम मैं उसी काट दूँ

32 आर सामन-य सिमरम (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 119 के
रूप में उपरोक्त पर प्रविष्ट है।

3) मिसे शपथ दस्तावेज नं. 9905117024 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) अज्ञेय
है।

4) त्थाई लेखा सख्दाक (पैन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रारिथति: अज्ञेय

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपय में)

Ebranamnan/EIC/Form 26

1.	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिरक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

I. निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामले संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (अपराधों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनका आरोप विरचित किया गया है	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विरचित हुई है/हैं	शून्य

II. निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य

(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी नक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	शून्य

मदद(1) में वर्णित मामलों से भिन्न:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यारे, जहां न्यायालय ने सज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वका आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील अपीलों/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यारे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:



कृपि अधिसूची उपयुक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित प्रश्नोत्तरों पर उत्तर करेंगे:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया

(क)	उन मामलों के ब्यारे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख(तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिसूचित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यारे और वर्तमान प्रस्थिति	शून्य

7. मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारे नीचे देता हूँ.

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारे:-

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने है।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में धालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	हाथ में नकदी	50 हजार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii	बैंक खातों में जमा ब्यारे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	10,664	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य गैर बंधपत्रों/शेयरों तथा लिखतों में विनिधान के ब्यारे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, शिक्षा प्रतिलिपि में विनिधान के ब्यारे और इकाईयों या बीमा कंपनी में विनिधान वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vi	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Ebrahmanen/ELC/Item 26

	(मैक, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और एकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vii	जेकरात बुनियात और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के बीचे)	1800/100000 2/100000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
viii	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	50 हजार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ix	समग्र कुल मूल्य	410,664	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के व्यौरें

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए, संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
i	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	स्थापित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	अनुमानित सालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	नगरीय भूमि - अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
ii	स्थापित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	अनुमानित सालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	iii	ताणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
			शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Ebrahimnagar/ELC/Form 26

	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv	आवासीय मकान (अपार्टमेंट सहित): आवृत्ति (अवस्थिति) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	मोना आरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1/2 461	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1/2 461	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हो	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	7 मार्च	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	20 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v	आवृत्ति (संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vi	पूर्ववर्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	20 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8) मैं नीचे विलीय सस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बारे में नीचे देता हूँ-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के बंधों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्ववर्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टि/निकाय को ऋण या शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नाम, बकाया, रकम ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii सरकारी शोध: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सिंचाई शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नागरपालिका संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकासक शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv कोई कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे

(क) स्वयं होमवर्कर

(ख) पति या पत्नी शून्य

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है-

शैक्षिक मास्टर डिग्री विद्यालय करवा
०४/१९६१

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्योरे का उद्घरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/शुभ 50/पत्नीसिद्धे				
2	डाक का पता	परी महेला आर मोरघु				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	32 अरर सतयान्ध विहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	i) ऐसे जचित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं	शून्य				
	ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मव (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष उहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवार)	शून्य				
7 का स्थायी लेखा सं।	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय			
	अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(की पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(का आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आश्रितों और दायित्वों के ब्योरे (रूपये में)					
	विधरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जगम आरितया (कुल मूल्य)	410,664	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आरितया	2,17,170 रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	i स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विक्रय/संनिर्माण लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	(यदि लागू हो)					
iii	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वाजित आस्तिया (कुल मूल्य)	4 लाख 10 हजार 664 रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) बिरासली आस्तिया (कुल मूल्य)	20 लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	दायित्व					
	i सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादधीन हैं					
	i सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उत्तरीय नैतिक अहंता					
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय/शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					



सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस प्रमाणपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वाधिक जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 8 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लक्षित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लक्षित मामला नहीं है,

(ख) मेरी प्रति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8.9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 26.03.18 को सत्यापित किया गया।

Notified the deponent who has signed/pulled in my presence
 Advocate 26/3/18

अभिसाक्षी

टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिस्जैस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देने। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ कबे भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याये है/हैं..... 9905117024
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है.....
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....

original/Duplicate
(original to be kept with nomination paper and
Duplicate to be handed over to candidate)

Check List of documents in connection with filing of nomination

Name of constituency ... 32 ... आरा ... संसदीय ... निर्वाचन क्षेत्र
Name of the candidate ... श्री जोषाबाई ... शिंदे ...
Date and time of filing nomination paper ... 26-3-14 ... 1:10 PM
Sl. No. of nomination paper 26

Sl. No.	Documents	whether file (write yes/no)
1.	Affidavit in Form 26	Yes
2.	affidavit as per the Commission's order dated 27-03-03	Yes
3.	Certified extract of electoral roll (when candidate is an elector of a different constituency.	NIL
4.	Forms A and B (applicable in the case of candidates setup by political parties.	NIL
5.	Copy of caste certificate (if the candidate claims to belong to SC/ST).	NIL
6.	Security deposit (whether made)	Yes
7.	Oath/affirmation (whether taken)	Yes

The following documents which have not been filed should be filed as indicated below:

- (a) NIL should be filed latest by NIL
(b) NIL should be filed latest by NIL

Received.

Signature of (candidate)

date & time:

Place:

N.B.

RO/ARO
(अभिलेखकर्ता)
(अभिलेखकर्ता)

सहायक निर्वाची पदाधिकारी
३२-आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
राज्यपाल भवन, इलाहाबाद, २०१००२

1. The two affidavits and Forms A&B have to be filed latest by 3:00 P.M. on the last date of filing nominations.
2. Oath has to be taken after filing nomination paper and before the date fixed for scrutiny.
3. Certified extract of electoral roll can be filed upto the time of scrutiny.
4. security deposit should be made either before filing of nomination paper or at the time of filing of nomination paper. Therefore, there is no question of issuing notice for making the security deposit

REQUEST FORM

Basic information/ details about individual candidates standing in Parliamentary General Election- 2014.

1. No. and Name of parliamentary Constituency: 32 ARRAH GENERAL
2. Full name of Candidate: GOPAL SINGH
3. Sex: MALE
4. Age: 7 NOVEMBER 1940
5. Party:
(mention 'independent' if not set-up
by political party) INDEPENDENT
6. City / area of native place TARI MOHALLA ARRAH BIHAR,
please enter your contact details below)
7. Full Address: TARI MOHALLA ARRAH BIHAR
8. Landline phone no: N.A
9. Mobile phone no: 9905117024
10. Email address (if any): N.A
11. Website address (if any): N.A

शेवा में,

निर्वाची पदाधिकारी,
32-आरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र।

विषय :- नाम का शुद्ध हिज्जे के संबंध में।

महोदय,

सादर सूचित करना है कि मैं गोपाल सिंह

32-आरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का एक अर्न्थी हूँ। मेरे नाम का शुद्ध हिज्जे (Spelling) निम्न प्रकार है:-

1. हिन्दी में-

गोपाल सिंह

2. In English-

GOPAL SINGH

विश्वासभाजन

गोपाल सिंह

(अर्न्थी का नाम)

32-आरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

(अध्याय-5 पैरा 21.2)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का फार्म

(भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 क)

लोकसभा हेतु निर्वाचन के लिए अभ्यर्षी द्वारा भरा जाने वाला
मैं गोपाल सिंह जो
लोकसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्षी के रूप में नाम निर्देशित हुआ
हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा
रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखूंगा।

गोपाल सिंह

(अभ्यर्षी के हस्ताक्षर एवं स्पष्ट अक्षरों में नाम)

विद्या विद्यालय परिसर



Page No. 10119 C

श्री गोपाल प्रसाद सिंह को श्री माधो सिंह के प्राथमिक को श्री विद्यालय

उपरोक्त पद पर श्री माधो सिंह को प्राथमिक को श्री विद्यालय

श्री विद्यालय को प्राथमिक को श्री विद्यालय

- अधिकृत के नाम
- 1. प्राथमिक शिक्षक का श्री
 - 2. श्री
 - 3. प्राथमिक शिक्षक
 - 4. श्री

- शिक्षक के नाम
- 1. श्री
 - 2. श्री
 - 3. श्री
 - 4. श्री

विद्या विद्यालय, श्री

12

श्री



सं-२
32

बैङ्क का-ऑपरेटिव बैङ्क लि०, आरा
CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., ARA
पिन: 18015
भारत
शाखा
भारत

ACCOUNT ID: 000135901100
OPER. MODE: SELF
SAVINGS BANK PASS-BOOK

बैंक खाते का सं. (Account No.)
नमूने (Number) (of Depositor(s))
विवरण (Details)
व्यक्ति (Person)
पता (Address)

दिनांक (Date)
20 20

आरा शाखा
आरा (ARA)

आरा श्रावण
Account No.



सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बँक लि०, आरा
CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., ARA

1

दिनांक Date	विकास को-ऑपरेटिव बैंक Particulars & Cheque No.	आरा श्रावण Withdrawal Rs.	आरा श्रावण Amount Deposited Rs. 10000/-	आरा श्रावण Balance Rs. 10000.00/-	आरा श्रावण Authorised Signature
25-03-14	BYCRSH				

2/2